


जनजाति, आदिवासी, जौनसारी शामिल नहीं फिर कैसा समान नागरिक कानून!



डॉ श्रीगोपाल नारायण

समान नागरिक कानून के
लागू होने से पूरे देश में
विवाह, तलाक, विभाजन,
गोद लेने, विवास्त और
उत्तराधिकार एक समान हो
जाएगा। ऐसे में महिलाओं को
संपत्ति का सामान अधिकार
मिल जाएगा, हालांकि सुप्रीम
कोर्ट पहले ही उक्त बाबत
विधिक व्यवस्था दे चुका है।
अगर कोई गैर आदिवासी
एक आदिवासी महिला से
शादी करता है तो उसकी
अगली पीढ़ी की महिला को
उत्तराधिकार

जनान का आधिकार
मिलेगा, यह लाभ आदिवासियों
को समान नागरिक कानून
में शामिल होने से मिलता
जिससे वे वृंदावन का अधिकारी हों।

स मान नागरिक सहित का अभिप्राय है, देश या राज्य में प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा यानि कोई जातिवधन व धर्मगत अथवा क्षेत्रवाच आधार पर कोई भेदभाव कानून में नहीं होगा यह अच्छा भी है कि प्रत्येक नागरिक को एक समान कानून से अनुशासित दायरे में रखा जाए इस समान नागरिक कानून के लागू होने के बाद देश इस जग्य जहाँ भी थां वह कानून लागू हुआ है, में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून प्रभावी होगा, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का बत्तों न हो। यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर समान नागरिक कानून लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और सपत्नि के बटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे समान नागरिक सहित भारत के सर्वविधान के अनुच्छेद 44 का भाग है भारतीय सर्वविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। सर्वविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहित लागू करना सरकार का विधित है जिसकी पहल उत्तराखण्ड गण्ड ने देश में सबसे पहले की है, लेकिन उत्तराखण्ड द्वारा पारित समान नागरिक कानून की परिधि से जनजातियों, अदिवासियों व जौनसारियों को बाहर रखा गया है, जिसके पीछे उनकी परम्परा का हवाला दिया गया है, जबकि कोई न कोई परम्परा तो हर जाति धर्म में है पिर मिर्स उर्दे ही छूट बत्तों दी गई, यह पूछने पर सरकार के स्तर से भी कोई संघोषणका जवाब समाप्त नहीं आया है। जब इन जनजातियों शामिल न करने की बाबत तर्क देते हैं कि, सर्वविधान में ट्रॉबलस्ट के लिए व्यवस्था की गई है, सर्वविधान ने उनके पिछड़ेपन की वजह से, रहन-सहन की वजह से छूट दी गई है। जब हमारी कमेटी गई थी तो कमेटी के लोगों ने उन लोगों से बात की, उनके समूह से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें, समान नागरिक सहित में शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ समय हमें दे दिया जाए, कमेटी की सिफारिश के आधार पर और सर्वविधान की भावनाओं के आधार पर ऐसाकिया है लेकिन सवाल उठाता है कि समय तो विषय भी मामूल रहा था, इस कानून के ड्राफ्ट के अध्ययन के लिए, ड्राफ्ट को प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सरकार को इन्होंने भी क्या जल्दी थी कि जनजातियों




ने समय मांगा और दे दिया, विषय ने मांग मना कर दिया और आगे फारन में यह कानून पारित, जिससे साफ है कि जल्दवाजी कानून की नहीं चुनाव में इस कानून का लाभ लेने की है यह भी सही है कि समान नागरिक कानून लागू होने का नुकसान जनजातियों को उठाना पड़ेगा। यदि सरकार को उनके हितों की चिंता होती तो उन्हें समान नागरिक कानून से अलग नहीं रखा जाता कुछ का तर्क है कि जनजातियों की संपत्ति पर समृद्ध विशेष की नजर है जिस कारण उन्हें समान नागरिक कानून से अलग रखा गया है।

अगर सरकार महिलाओं को बहुविवाह से बचाना चाहती है तो लिव इन पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार समान नागरिक कानून के जरिए लिव इन को स्वयं बढ़ावा दे रही है। तीन तलाक के विरुद्ध कानून बन पहले ही बन चुका है तो समान नागरिक कानून में इसे लाने का कोई औचित्य नहीं है। हलाला भी इस्लामिक कानून में दुर्भाग्य के समान है, जिस पर सजा का प्रायत्यन है। संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को लेकर भी शरीतव में पहले से व्यवस्था है। महिलाओं को दोनों ओर से अधिकार प्राप्त होते हैं। शादी से पहले हक मेरठ की व्यवस्था होती है जो समुस्लम पक्ष की ओर से दी जाती है। वहीं, पिंडा की संपत्ति में भी एक यौथां हिस्सा लड़की को मिलता है जिस विषय के जरिए लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकरण की मान्यता दी जा रही है इससे

हमारी संस्कृति प्रभावित होगी। इस तरह तो लिख इन रेलेशनशिप का अंजीकरण करा कर एक तरह से शादी व्योगित हो जाएगी, जबकि लिख इन रिलेशन में रहने का मतलब किसी एक के साथ रहने से भी नहीं है। महिला और मुख्य एक दूसरे से अलग होने के बाद किसी और के साथ भी लिख इन में इस व्यवस्था के मुश्तकिक रहते सकते हैं तो इसमें संस्कृति कहाँ बच पाएगी हिंदू विवाह अधिनियम की विधाया 2(2) कहती है कि इसके प्रावधान अनुसूचित राजनीतियों पर लागू नहीं होंगी, कानून की धारा 5(5) और 7 में कहा गया है कि प्रथाएँ प्रावधान पर हावी होंगी हिंदू नागरिक समाज मानारिक कानून आने के बाद यह शब्द नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम परमनल (शरीयत) एप्लीकेशन एकट, 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामी कानून के तहत शादी, तलाक और भरण-पोषण लागू होगा, लेर्टिकन अगर समाज नागरिक कानून आता है, तो शरीयत कानून के तहत तब विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ खत्म हो जाएंगी, यह लाभ जस्त इस कानून से हो सकता है यिथोके की शादी संवर्धित कानून 1909 के आनंद विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसमें तलाक का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे में तलाक के बाद उनपर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है लेर्टिकन अगर समाज नागरिक कानून आता है तो एक समाज क्या असंघर्ष सभी समुदायों पर लागू होने से समग्रता रहेगी, ऐसे में अनन्द विवाह अधिनियम भी खत्म किया जा सकता है पाससी

विवाह और तलाक अधिनियम, 1936 में प्रावधान है कि जो भी महिला किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से शादी करती है, वह पारसी रीत-रिवाजों और रीत-रिवाजों के सभी अधिकार खो दी गई, लेकिन समान नागरिक कानून आने पर वह प्रावधान भी समाप्त हो जाएगा। पारसी धर्म में गोद ली हुई बेटियों को अधिकार नहीं दिए जाते, जबकि गोद लिया बेटा सिफ़्र पिता का अर्तम संस्करण कर सकता है। अगर समान नागरिक कानून लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के लिए संरक्षकता और हिंसात लानु न समाचर रूप से स्वीकार्य हो जाएगी और यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसाई तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10अ(1) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन देने से पहले पति-पत्नी को कम से कम दो साल तक अलग रहना अनिवार्य है। लेकिन समान नागरिक कानून आने के बाद ये बाब्याता भी खत्म हो जाएगी। सन 1925 का उत्तराधिकार अधिनियम इसाई मताओं को उनके मृत चर्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है, ऐसी सारी संपत्ति वित्ती को विवाह में मिलती है। समान नागरिक कानून आने पर यह प्रावधान भी खत्म हो जाएगा। आदिवासी समाज परंपराओं, प्रथाओं के आधार पर चलता है, ऐसे में समान नागरिक कानून में यदि आदिवासियों को शामिल किया जाता तो उनके सभी प्रथागत कानून खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यह इस समान नागरिक कानून की बड़ी खामी कही जा सकती है। इसी तरह से छोटानगरु टेनेसी राज्य, संथल अधिकार टेनेसी एक्ट, सापीटी एक्ट, पेस एक्ट के तहत आदिवासियों को झारखण्ड में जमीन को लेकर विशेष अधिकार प्राप्त हैं, समान नागरिक कानून के लागू होने और उसमें इन लोगों को शामिल करने से उनके ये अधिकार खत्म हो जाएंगे समान नागरिक कानून के लागू होने से पूरे देश में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विवास आर उत्तराधिकार एक समान हो जाएगा। ऐसे में महिलाओं की संपत्ति का समान अधिकार मिल जाएगा, हालांकि सुरीयन कोटि पहले ही उक बाबत विधिक व्यवस्था दे चुका है। अगर कोई गैर आदिवासी एक आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी अगली पीढ़ी को महिला को जमीन का अधिकार मिलेगा, यह लाख अदिवासियों को समान नागरिक कानून में शामिल होने से मिलता जिससे वे वर्चित रह गए। (लोखर विधिवेत्ता व वरिष्ठ पत्रकार है)

संपादकीय



सनत जैन

ਏਕ ਅਛੀ ਪਹਲ

अंततः उत्तराखण्ड विधानसभा में मंगलवर को बहुमतीक्ष्ण समान नागरिक समिति विधेयक पेश हो गया। इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी झड़पें हुईं। प्रदेश में वीजेपी की सरकार बहुमत में है, उम्मीद की जानी चाहिए कि यह विधेयक सदन से पारित हो जाएगा। राज्य में यह कानून लागू होने के बाद बहुविवाह और हलाता जैसी प्रश्न निष्पत्तीबाई हो जाएंगे। शादी-विवाह, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विपक्ष द्वारा बार-बार सवाल उठाया जाता रहा है कि किसी भी राज्य को इस संदर्भ के कानून लागू करने का विधायिक अधिकार नहीं है। इनका विवाह जैसे राज्यों में इस रथ के कानून पारित हुए हैं। 1975 में केरल में दिन्दु कानून में संशोधन किया गया था जिससे महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हुए थे। समान नागरिक कानून बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है, और इसलिए इस कानून को लागू करने का उसे राजनीतिक अधिकार भी है। हालांकि विपक्षी दल दबे स्वर में इसका विरोध करते रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज का विरोध का स्वर बहुत मुश्किल है। जमीयत-उल्लेघ-हिन्द के अध्यक्ष मौलान अरशद मदनी का विस्तृत है कि विस्तीर्णी लागू करना नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर आधार तकनी की एक सोची-समझी जिञ्चाई है। यह उनका व्यक्तिगत नजरिया हो सकता है। बस्तुतः इस कानून के लागू होने से मुस्लिम महिलाओं को प्रतिक्रिया रूढ़ियों और प्रथाओं से युक्ति के द्वारा खुलेंगी। इस कानून के प्रावधानों के तहत पति वा पत्नी के रहने दूसरी शादी पर सख्ती से रोक लगेगी। जाहिर है, इससे बहुविवाह निषेध होगा। इसी तरह जिन आधारों पर पति अपनी पत्नी को तलाक देते हैं, उन्हीं आधारों पर पति भी पति से तलाक ले सकती है। उत्तराखण्ड विधानसभा में प्रस्तुत इस विधेयक में कुछ विसर्पिताएँ भी हैं। उदाहरण के लिए अदिवासियों को बनने वाले कानून के दबे से बाहर रखा गया है। व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो किसी अच्छे या श्रेष्ठ कानून से कोई कानून को रासा नहीं होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित व्यावधान भी बंदूतः पिंगड़वानी की जीनी यी चारद में ढक हुए हैं। अगर समय सीमा के भीतर इसका पंजीकरण नहीं विधाया गया तो ढंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के प्रावधानों पर सदैव भी किया जाता रहेगा और इस पर बहस भी होती रहेगी। इस तरह के कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता तो ज्यादा प्रभावी होता।

५

छठे 10 वर्षों में संवैधानिक संस्थाएँ संवैधानिक के अनुरूप अपना काम नहीं कर पा रही हैं। संवैधानिक संस्थाएँ सरकार के निर्भर होती जा रही हैं। संवैधानिक संसाधनों की काम करने की इच्छा शक्ति पर काम करने के लिये उपयोग है। जिसके कारण संवैधानिक प्रवधानों का अन्तर उल्लंघन हो जा रहा है। आम जनता में संवैधानिक संस्थाओं की जो आदर और सम्मान विचारास्था था, वह खबर होता जा रहा है। जिसके अनुरूप संवैधानिक और लोकतंत्र दोनों ही खट्टरे में दिख रहे हैं। पिछले कई महीनों से जिस तरह से जनता करने सड़कों पर आकर खड़ी हो रही है। यह समय में सबसे चिंता का विषय है। गतिविधि के संस्थाएँ और संवैधानिक पदाधिकारी ने के घेरे में है। राज्यपाल, केंद्रीय चुनाव आयोग की अब न्यायालिकों के ऊपर भी सरकार द्वारा को के अनुरूप काम करने के अरोपण लगा रहा है। जिसके के प्रति जेसिंग्स के ऊपर भी सरकार के इशारे पर काम करने के अरोपण लगा रहा है। जांच एजेंसियों द्वारा

पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की मनमानी की जा रही है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी संवैधानिक संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है। जांच एजेंसियों और संवैधानिक पदाधिकारियों की निष्पक्षता भी अब विवादों में है। न्यायपालिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिए गये हैं। वह एक तरह से आवेदन और सरकार के किए हुए निर्णय का प्रति अदान है जो मोर्हा लगाने के रूप से देखा जा रहा है। जिसके कारण अब न्यायपालिका के खिलाफ भी लोगों मुखर होकर अपनी बात कहने लगे हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जे सेवा निवृत हो चुके हैं तथा जो वरिष्ठ वकील हैं, वह भी खुलकर न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता को लेकर लगातार अपनी आवाज को मुखर कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से उच्च न्यायालयों द्वारा सरकार के मौल रूप से जो निर्णय दिए जा रहे हैं। उनमें तथ्यों को अनदेखा किया जा रहा है। संविधान की मूल भावना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को जिस तरह से नज़र अंदाज किया जा रहा है। उसका असर ट्रायल कोर्ट में पड़ रहा है। उसके कारण चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया लोगों के मन में भरोसा जताती है। यदि जनतानिधि जनता की भावनाओं के अनुसुप्त काम नहीं कर रहे होते हैं, तो चुनाव के माध्यम से सरकार को पलटवारों का काम संभव नहीं है। चंडीगढ़ महापौर पद के चुनाव में जिस तरह से चुनाव अधिकारी द्वारा मार पायों के साथ छेड़छाड़ करके अल्पमत के उम्मीदवारों को महापौर पद में चुनाव जिता दिया गया। उसके बाद

यापलिका जिस तरह से ममले को टाला है। जो ताता वही सिकंदर को तर्ज पर न्यायपालिका भी यदि अच्छे मुंद लेती है। जिसके कारण अब लोगों में दिवोह भावना देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ महापौर के चुनाव में जो हुआ, उसे सारे देश ने देखा। कुछ लोग तरीके की स्थिति दिल्ली के महापौर पद के चुनाव परी भी हुई थी। उसे भी सारे देश ने देखा। चुनाव में आपने नामन और बीवीपेट मरीज से आए चुनाव एपाम तथा चुनाव के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग भूमिका को लेकर एक पक्ष विशेष का प्रयत्न चाहै और विपक्ष को रोकेने का काम जिस तरीके चुनाव आयोग करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आदमी की विश्वास चुनाव आयोग पर खत्म हो जाएगी है। सर्वधान और लोकतात्रिक व्यवस्था को लेकर इस आदमी के मन में संशय उत्पन्न होने लगा विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनान अब मुख्य कर सड़कों पर उतर रहा है। इंटी और सीबीआई ने जिस सर लोगों को जेल में बंद किया जा रहा अदालतों द्वारा जेल में बंद विचाराधान केंद्रियों को बाजार नहीं दी जा रही है। आप अदामी महीनों नहीं वर्षों तक जेल में बंद रहता है। वर्षों तक जाँच एजेंसी ने चार्ज शीट पेश नहीं की जाती है। राजनीतिक भूमिका के लिए जाँच एजेंसियों को सरकार द्वारा किया जा रहा है। कई राज्यों के राज्यपाल, राज्यपाल कार्यालय के अपने पास कई महीने तक सालों तक रोके कर रहे हैं। हाल ही में राज्यपाल, गृह और झारखण्ड में राज्यपालों की काम को सारे देश ने देखा है। जिसके कारण विधानिक पदाधिकारियों और संवैधानिक संस्थाओं

ने निष्पक्षता को लेकर आम आदमी का भरोसा धीरे-रेरे खत्म होता जा रहा है। 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। वह घोषणा वैधानिक रूप से की गई थी। उसके लिए सरकार की जयवाच देही थी। इंदिरा देही के समय मीसा में जिन लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्हें बिना मुकदमा चलाए कई महीनों तक सरकार के जेलों में बंद करके रखा था। आपातकाल की दौरी, सीधी आई, पुलिसकारी दलों के नेताओं को अपाराधी बनाकर जेल में बंद करके रख रही है। जेल बंद करके उनके खिलाफ सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। कई महीनों तक जांच के नाम पर जेलों में बंद रखकर रखा जा रहा है। अदालतों में जमानत के लिए प्राप्त माले पेश होते हैं। पिछले कई महीनों से हाईकोर्ट और प्रीम कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों द्वारा जिनको गिरफ्तार करा गया है। उनके मामले में सबूत नहीं होते हुए भी जमानत नहीं दिए जाने के आरोप हाईकोर्ट और प्रीमकोर्ट के वक्तव्य खुलकर लगा रहे हैं। परिषुद्धिवर्तका कह रहे हैं, कि सरकार मुकदमों को टालने का काम कर रही है। कई वर्षों तक आरोपियों को न्यायितावों में पेशी भुगतान पड़ती है। सबूत के अभाव वह निर्दोष सावित होते हैं। सरकार के खिलाफ मालिकों को संदेशित करने की जिम्मेदारी सविधान ने न्यायालिका को संवृच्छ स्थान पर ला दी है। नागरिकों के मानव एवं मौलिक विधिकारों को संदेशित करने की जिम्मेदारी सविधान ने न्यायालिका को दी है।

रात शेयर बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंचा



2

मा रत आज अर्थ के विभिन्न क्षेत्रों में नित नहीं उन्चाईयां छू रहा है। दिसम्बर 2023 के प्रथम सप्ताह में भारत ने प्राप्त एवं ब्रिटेन को पौछे छोड़ते हुए शेयर बाजार के पूर्जीकरण के मामले में पूरे विश्व में पांचवा स्थान हासिल किया था। भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान एवं हांगकांग थे। परंतु, अब दो माह से भी कम समय में भारत ने शेयर बाजार को पूर्जीकरण के मामले में हांगकांग को पौछे छोड़ते हुए विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। अतीतीय शेयर बाजार का पूर्जीकरण 4.35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक का हो गया है। अब ऐसा अभास होने लगा है कि भारत अर्थ के बेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी खेड़ी हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का बोलबाला था। इस खंडकाल में विश्व के कुल विदेशी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत से भी अधिक की ही हो व्यापिक उस समय पर भारत में सनातन संस्कृति का पालन करते हुए व्यापार किया जाता था। भारत में कम एवं अर्थ के कार्यों को धर्म का पालन करते हुए करने की प्रथा का पुराना शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भारत में चौंकिआज एक बार पुनः सनातन संस्कृति का पालन करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य सम्पन्न हो रहे हैं अतः पूरे विश्व का भारत पर विश्वास बढ़ रहा है अतः न

केवल विदेशी वित्तीय संस्थान बल्कि विदेशी नागरिक भी भारत के पूँजी (शेरय) बाजार में अपने निवेश को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं।

लगानी कर देता था हो । अमेरिका में भौतिक स्टोरों का विकास एक्स्प्रेज पर लिस्टेड समस्त कम्पनियों के कुल बजार पूँजीकरण का स्तर 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर जुलाई 2017 में पहुँचा था और लगभग 4 वर्ष पश्चात अर्थात मई 2021 में 3 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया था तथा केवल लगभग 2.5 वर्ष पश्चात अर्थात दिसम्बर 2023 में यह 4 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को भी पार कर गया था और आज यह 4.35 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर से भी आगे निकल गया है । इस प्रकार भारत शेयर बाजार पूँजीकरण के मामले में आज पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आ गया है ।

हाल ही में सम्पन्न किए गए एक सर्वे में यह बात उभरकर सामने आई है कि विश्व के 100 बड़े निवेशक फंड जिनकी संपत्तियां 26.25 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की हैं, ने चीन के स्थान पर भारत में अपने निवेश बढ़ाने की बात की है। भारत के बाद ब्राजील एवं चीन में ये फंड अपने निवेशों की बात कर रहे हैं। वर्ष 2023 में विभिन्न विदेशी निवेशक फंडों ने 2000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश भारत के शेरबाजार में किया है। पिछले लगातार 8 वर्षों के दौरान यात्रीय शेयर बाजार ने निवेशकों को लाभ दिया है जबकि विश्व के कई बड़े बाजार यथा चीन, हांगकांग एवं जापान जैसे बाजार भी लगातार यह लाभ नहीं दे पाए हैं। भारतीय शेरबाजार ने वर्ष 2023 में अपने निवेशकों को 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ दिया है।

कोरेड रुपए से भी अधिक की राशि का निवेश इन दिल्ली निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में किया गया रहा है।

इन्हें सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा कई बार यह आरोप किया जाता है कि भारत में सरकारी उपक्रमों को मापदंड काल के दौरान सरकारी उपक्रमों का पूँजीकरण द्वारा बाजार में दुग्ना होकर 46.40 लाख कोरेड रुपए से भी अधिक का हो गया है। सरकारी उपक्रमों अपने अपराधी रूपीकरण में इस अवधि में अतुलनीय दृष्टि दर्ज की है। बांग्ला स्टॉटिक एक्सचेंज का सेन्सेशनल छछले दर्जे की है में 60,000 के स्तर से 70,000 के स्तर को पार कर गया है। इन सरकारी उपक्रमों के द्वारा योरेटर गवर्नन्म में भारी सुधार हुआ है, जिसके फलते ने केवल दिल्ली निवेशकों का बल्कि भारत के

स्थायगत निवेशकों एवं खुदरा निवेशकों का भी सरकार इन सरकारी उपक्रमों पर बढ़ा है। अंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगातार लागू किए गए रहे विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के चलते विदेशी निवेशक एवं देशों में निवेश कर रहे भारतीय मूल के नागरिक भी आरंभितीय कम्पनियों में भारी वित्तीय मात्रा में शेयर बाजार के अध्ययन से निवेश कर रहे हैं हाल ही के समय में आरंभितीय कम्पनियों की लाभप्रदता में भी अतुलनीय दिव्यांशोच हुई है जिससे इन कम्पनियों के विभिन्न आरंभितीय अनुपात बहुत आकर्षक बन गए हैं। जबकि नैन, हांगकांग, ब्रिटेन, जापान जैसे शेयर बाजार अपने निवेशकों को ऋणात्मक अथवा बहुत कम स्टर्ट दे पा रहे हैं। कई विदेशी संस्थान निवेशक तो नैन, हांगकांग आदि देशों से अपना पूँजी निवेश करकालकर भारतीय शेयर बाजार में कर रहे हैं। इससे विदेशी आरंभितीय अनेक वाले समय में भी भारतीय शेयर बाजार में दिव्य दर आकर्षक बनी रहेगी, इसकी भरपूर सम्भावना सक्त की जा रही है।

सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

गैरकायदेसर बांधकाम को विकास का मॉडल बताते मनपा लिंबायत जोन के अधिकारी



सूरत भूमि, सूरत। शहर के लिंबायत जोन में टीपी नं. 62 तथा टीपी नं. 69 में ऐसे तमाम गैरकायदेसर बांधकाम विकास का नमूना बताया जा रहा है, वर्ही दूसरी तफल लिंबायत जॉन के अधिकारियों की तिजोरी न भरने के कारण स्कूलों वा मंदिर पर महानगरपालिका के अधिकारी जमकर हयोड़ा बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है की सविधान पूर्णीपति विल्डरों को लोग नहीं पढ़ता सिर्फ गरीब तपक के लोगों को नियमों का पालन करना पड़ता है जो अवैध बांधकाम किए गए हैं वह भाजपा के उच्च नेताओं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। सोसायटी की सीधीपी में अवैध मार्जिन जगह में हास्पिटल तथा शारीरिक बनाकर अच्छे भाव में बेचक विल्डर खुब दबाकर कमा रहे हैं। यहां तक की सरकारी प्लान पास होने के बावजूद नियमों की अवहेलना कारते हुए एलान विरुद्ध रेसिडेंस में शारीरिक बनाकर लाखों का घर करोड़ों में बेचा जा रहा है। सोसायटी में निवास करने वाली जनता से महानगरपालिका 25 साल से टैक्स की वसूल करती है परंतु उनको प्राथमिक सुविधा नहीं देती बगैर प्राथमिक सुविधा के विल्डरों को बेचने का अधिकारी? यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मिसाल है सोसायटी के लोग अर्जी करके जब जवाबदार अधिकारी से मुलाकात करते हैं और कार्यवाही करने की बात करते हैं तो अधिकारी स्पष्ट बोल देते हैं की इंपैक्ट फाईस भर दिया गया है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां बीएमसी के नियम सिर्फ नेताओं व मनपा की तिजोरी भरने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना कि जनहित में काम करने के लिए, इसीलिए गुजरात को सुशासन बाबू का राज्य बोला जाता है।

सैनिक के परिवार की मंजूरी और स्वर्गीय निर्मलाबेन की पूर्व प्रतिज्ञा के बाद, सफल दान ने लाखों लोगों को प्रेरित किया

सूरत। स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया। इस दान के माध्यम से धार्मिक परंपरा और सामाजिक मेडिकल छात्रों की पढ़ाई के लिए चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे भावना के कारण भारत में मृत्यु के दान दिया गया था। सूरत में ऐसी मेडिकल छात्रों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में बाद देहदान का चलन आसानी से बेटी के साथ रहे वाली दिवंगत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देखने को हीर्षित मिलता है, हिंदू धर्म निर्मलाबेन ने देहदान जैसा अनोखा यूआरसी और ईसीएस में मृत्यु के बाद उच्च संस्कार दान देकर एक नेक मिसाल कायम पॉलीकिनिक के समन्वयक और के महल के कारण ज्यादातर लोग की है। सूरत परिवारों की जीवन और पूर्व सेना अधिकारी ऐसे ऐसे दान देने से करते हैं। उस समय मृत्यु के बाद भी समाज और देश चंपावत ने वर्षों पहले अंगदान भारतीय नौसेना में पूर्व लेफ्टिनेंट के काम आने की सद्बावना हजारों और अंगदान के प्रति सामाजिक औम प्रकाश सूरद की दिवंगत पत्नी सैन्य परिवारों की देशभक्ति और प्रतिबद्धता के लिए सूरद परिवार मूल रूप से हिंदूल लेफ्टिनेंट की जनसेवा भावना को दर्शाती है।

यूआरसी एवं ईसीएस समाजों का रूढ़िविदी मायाताओं की सराहना करते हुए कहा कि रहने वाली थीं और 10 साल से सूरत में बस गई थीं। निर्मलाबेन पॉलीकिनिक समन्वयक एवं को पीछे छोड़ने की निर्णय हजारों सूरद का दान देने का संकल्प दूसरों पूर्व वायुसेना अधिकारी एसएस देखने वाले सैन्य परिवारों का।

82 वर्षीय स्वर्गीय निर्मलाबेन द्वारा लिए गए निर्णय के बाद जोड़ा गया है। यहां बता दें कि को परिवार के पूर्व निर्णय और राजकीय मेडिकल कॉलेज के डीन ओम प्रकाश सूरद ने 1971 के युद्ध सहमति के तहत न्यू सिविल डॉ. राधिनी वर्मा ने देहदान स्वीकार में अहम भूमिका निभाई थी।

महुवा तालुका के खांडल गांव की दीवालीबेन हलपति को पीएम आवास से छत्रघाया मिली



सूरत। से घर निर्माण के लिए 1.20 लाख दीवालीबेन का सपना था कि वह रुपये की सहायता के साथ अपने कच्चे घर के मजबूत घर में बनाने का कठिन काम आसान हो। तिला ग्राम विकास एजेंसी सूरत के बाजार, जिसके तहत विवाह मंत्री आवास योजना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव की दीवालीबेन हलपति को तहत 90 दिन का रोजगार मिला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विवाह मंत्री आवास योजना के रुपये में 17,620 रुपये लगा दिए गए थे। राशि से मकान का सरकार वो प्रधानमंत्री आवास योजना के रुपये में 10,620 रुपये लगा दिए गए थे।

हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच ने हमें प्रधानमंत्री आवास योजना और विवाह मंत्री आवास योजना के बारे में बताया, जिसके तहत विवाह मंत्री आवास योजना के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के मनरेख योजना के माध्यम से को चौथे सेमेस्टर में और छोटा आवास का निर्माण हुआ है, अच्छे बेटा हर्विट एमबीबीएस के दूसरे मकान बनाने से गांव में हमारा स्तरवास किया गया था। हमें पहली किस्त तरह मुक्किल नहीं रहा। इस प्रकाश, और का सपना एक घर भी पूरा बन गया है। इसके बाद योजना और मनरेख योजना हमारे सरकार का आभार व्यक्त किया।

द्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2024 की तीसरी तिमाही एवं नौ महीनों के परिणामों की घोषणा की

गुरुग्राम। भारत की प्रमुख इंटर्नेट

सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड ने आज 31 दिसंबर 2023 को

समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीनों के अपने

वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है। इस

तिमाही में कंपनी के कुल रेवेन्यू में प्रवर्द्धन वर्ष

की इसी तिमाही की तुलना में 2.2% की वृद्धि

दर्ज की गई है। वर्ती, इस अवधि के दौरान

कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार

पर 2.2% बढ़कर 8,999 मिलियन रुपए रहा।

स्टैंडअलोन (एकीकृत)

वित्तीय परिणाम की खास बातें = वित्त वर्ष

2024 की तीसरी तिमाही बनाम वित्त वर्ष

2023 की तीसरी तिमाही

10.82% था।

कंसोलिडेटेड (समेकित)

वित्तीय नौजीवी की खास बातें : वित्त वर्ष

तिमाही में कंपनी का पीएटी मार्जिन 8.95%

वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में

कंपनी का परिचालन से रेवेन्यू सालाना आधार

पर 2.2% बढ़कर 8,999 मिलियन रुपए रहा।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादक: संजय मार्शनकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, उथना, सूरत (गुजरात) प्रिन्सर्स- भूनेश्वरा प्रिन्सर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी,

चौकसी मील के पास, उथना मगदलखारा (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, उथना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोन: 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा।

मंगरोल तालुका के बोरिया गांव के ग्रामीण विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का भव्य स्वागत करते हुए



सूरत। केंद्र और राज्य सरकार की योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, योजनाओं का लाभ विवरित किया गया। अधिकारी जंखना बेन, विस्तार अधिकारी प्रमुख योजनाओं के लिए चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे। योजना के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में बाद देहदान का चलन आसानी से बेटी के साथ रहे वाली दिवंगत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देखने को हीर्षित मिलता है, हिंदू धर्म निर्मलाबेन ने देहदान जैसा अनोखा यूआरसी और ईसीएस में मृत्यु के बाद उच्च संस्कार दान देकर एक नेक मिसाल कायम पॉलीकिनिक के समन्वयक और के महल के कारण ज्यादातर लोग की है। सूरत परिवारों की जीवन और पूर्व सेना अधिकारी ऐसे ऐसे दान देने से करते हैं। उस समय मृत्यु के बाद भी समाज और देश चंपावत ने वर्षों पहले अंगदान भारतीय नौसेना में पूर्व लेफ्टिनेंट के काम आने की सद्बावना हजारों और अंगदान के प्रति सामाजिक औम प्रकाश सूरद की दिवंगत पत्नी की देशभक्ति और प्रतिबद्धता के लिए सूरद परिवार मूल रूप से हिंदूल प्रेसेन्ट लेफ्टिनेंट की जनसेवा भावना को दर्शाती है।

यूआरसी एवं ईसीएस समाजों का रूढ़िविदी मायाताओं की सराहना करते हुए कहा कि रहने वाली थीं और 10 साल से सूरत में बस गई थीं। निर्मलाबेन पॉलीकिनिक समन्वयक एवं को पीछे छोड़ने की देशभक्ति और चौथी विभाग, आईसीडीएस परिवार के लिए चिकित्सा का लाभ देने वाली बेन, आईसीडीएस परिवार के लिए चिकित्सा का लाभ देने वाली बेन, आईसीडीएस परिवार के लिए चिकित्सा का लाभ देने वाली बेन, आईसीडीएस परिवार के लिए चिकित्सा का लाभ देने वाली बेन